न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) – जयपुर

1. पीठासीन अधिकारी : श्री अशोक कुमार शर्मा
2. प्रकरण संख्या : 152/2020
3. उनवान : सरकार जरिये मोहन लाल देव, प्रवर्तन अधिकारी

बनाम

1. मैसर्स रॉयल रेस्टोरेन्ट, नियर रेल्वे फाटक, रेल्वे कालोनी, जगतपुरा, जयपुर।
2. श्री जसपाल सिंह नागी पुत्र श्री सरदार संतोक सिंह नागी निवासी 259–ए, ईस्ट मोहन नगर जिला अमृतसर हाल निवासी रॉयल रेस्टोरेन्ट, नियर रेल्वे फाटक,रेल्वे कालोनी,जगतपुरा, जयपुर

4. निर्णय दिनांक : 24.08.2022
5. अधिवक्तागणों का नाम : अ) पैरोकार रसद प्रार्थी की ओर से।
ब) श्री रमेश कुमावत अप्रार्थीगण की ओर से।

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

प्रार्थी प्रवर्तन अधिकारी मोहन लाल देव द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 पेश कर निवेदन किया है कि दिनांक 21.02.2012 को शिकायत की जांच हेतु मैसर्स रॉयल रेस्टोरेन्ट पर कार्यवाही के दौरान 14 घरेलू गैस सिलेण्डर (6आईओसी+6एचपीसी+2बीपीसी) मय एलपीजी 30.200 किग्रा., 3 वाणिज्यिक सिलेण्डर (2बीपीसी+1आईओसी) मय गैस 8.700 किग्रा., 3 अन्य कम्पनियों के सिलेण्डर (1रिलायन्स+1राजगैस+1इण्डोजेम), 2 छोटे नोन आईएसआई मार्का सिलेण्डर मय गैस 1.500 किग्रा., 1 पीतल की बांसुरी, 1 एटलस मार्का लोहे का कांटा, लोहे के 2 बांट, एक पेचकस, एक लोहे का पाना, एक रेग्यूलेटर व रबर पाईप तथा 25 गैस सिलेण्डर कैप कुल 40.400 किग्रा. एलपीजी जब्त किये गये। अप्रार्थी द्वारा घरेलू सिलेण्डरों का भण्डारण, खरीद फरोख्त एवं रिफिलिंग का कार्य किया जाता है। अप्रार्थी द्वारा प्रकरण के सन्दर्भ में कोई सन्तोषप्रद जवाब एवं वैध दस्तावेज पेश नहीं किये गये। ऐसी स्थिति में फर्द मौका, फर्द अभिग्रहण, फर्द सुपुर्दगीनामा, फर्द रिकार्ड जब्ती आदि की प्रति पेश कर निवेदन किया है कि उक्त जब्त वस्तुओं को आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6–ए(2) के तहत राजसात करने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी को नोटिस सम्यक रुप से तामील है। अप्रार्थी की ओर से दिनांक 08.10.2012 को अधिवक्ता श्री रमेश कुमावत ने उपस्थिति दी। अप्रार्थी/अधिवक्ता द्वारा दिनांक 16.04.2014 को पेश जवाब में अंकित किया कि अप्रार्थी के प्रतिष्ठान पर किसी भी प्रकार से सिलेण्डरों का अवैध उपयोग नहीं किया जा रहा था। जब्त किये गये घरेलू सिलेण्डर ग्राहकों को सप्लाई करने हेतु रखे हुये थे। तत्पश्चात प्रकरण बहस हेतु नियत किया गया। लम्बे समय तक पत्रावली बहस हेतु नियत रहने के दौरान बार–बार आवाज लगवाई गयी, न्याय हित में अन्तिम अवसर भी दिया गया। इस पर भी अप्रार्थी/अभिभाषक अनुपस्थित रहे। प्रार्थी पैरोकार सरकार द्वारा प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए जब्त वस्तुओं को राजसात करने का निवेदन किया। तदुपरान्त पत्रावली दिनांक 24.08.2022 को आदेश हेतु रखी गई।

हम प्रार्थी के प्रार्थना पत्र, दस्तावेजी साक्ष्यों, जवाब प्रार्थन पत्र का अवलोकन व मनन कर इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि दिनांक 21.02.2012 को जब्त सामान (फर्दानुसार) द्वारा अवैध रूप से घरेलू सिलेण्डरों से छोटे सिलेण्डरों में गैस रिफिलिंग करके उनके भण्डारण व विक्रय का कार्य किया जा रहा था। अप्रार्थी ने उक्त सिलेण्डरों के संबंध में स्वयं के बजाय अन्य लोगों के दस्तावेज प्रस्तुत किये। अप्रार्थी ने ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया जिससे वह गैस ऐजेन्सी से सिलेण्डर लेकर उन्हें ग्राहकों को सप्लाई करने के लिये अधिकृत हो। उक्त ग्राहकों में से किसी ने भी जब्त सामग्री के संबंध में कोई क्लेम नहीं किया है। अप्रार्थी द्वारा द्रवीकृत पैट्रोलियम गैस आदेश 2000 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन किया गया है। ऐसी स्थिति में फर्द जब्ती से जब्त वस्तुओं के संबंध में सन्तोषप्रद जवाब अथवा कोई वैध दस्तावेज अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नही करने पर प्रार्थी द्वारा जब्त सामान (फर्दानुसार) को राजसात किया जाता है। जिला रसद अधिकारी जयपुर को निर्देश दिये जाते हैं कि जब्त वस्तुओं का विधिवत निस्तारण कर राशि राजकोष में जमा कराकर पालना रिपोर्ट प्रेषित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 24.08.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अशोक कुमार शर्मा)
अति. जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय)
जयपुर।